

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक..... 81 सीकर/2002-04

यह प्रमाणित किया जाता है कि पौलकाजी शिक्षण संस्थान

सीकर

जिला सीकर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958

(राजस्थान अधिनियम सं. 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 3 नवंबर 2002 माह.....

सन् 2000 टी.डी. को सीकर में दिया गया।



पौ. एल. भोणा
रजिस्ट्रार संस्था
सीकर